REGD. NO. D. L.-33004/99



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1747]	नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 5, 2014/भाद्र 14, 1936
No. 1747]	NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 5, 2014/BHADRA 14, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2014

का.आ. 2232(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को तत्संबंधी तदनुरूप स्तम्भ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

राजमार्गों, जिन्हें अब इस अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को तालिका के स्तम्भ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट क्रमश: नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में अंत:स्थापित किया गया समझा जाएगा ।

क्र. सं.	नई राष्ट्रीय	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
	राजमार्ग संख्या	
(1)	(2)	(3)
299	168	गुजरात राज्य में थारड के निकट रारा-68 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर
		धनेरा, पंथवाडा और राजस्थान राज्य में रेवदार, आनंद्रा को जोड़ते हुए सिरोही के
		निकट रारा सं. 62 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग ।
300	168 ए	गुजरात राज्य में संचोर में रारा सं. 68 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर धनेरा
		को जोड़ते हुए तथा दीसा के निकट रारा सं. 27 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त
		होने वाला राजमार्ग ।

तालिका

301	353डी	महाराष्ट्र राज्य में नागपुर के निकट रारा सं. 53 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर
		उमरेड, नागभीर, ब्रहमापुरी को जोड़ते हुए तथा अरमोडी के निकट रारा सं. 353सी
		के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग ।
302	306ए	मिजोरम राज्य में वैरंगटे के निकट रारा सं. 306 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ
		होकर साइफाइ, जोनमुन को जोड़ते हुए तथा न्यू वर्टीक के निकट रारा सं. 2 के साथ
		अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।
294	547ई	महाराष्ट्र राज्य में साओनेर के निकट रारा सं. 47 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ
		होकर धापेवाड़ा, कलमेश्वर को जोड़ते हुए तथा गोंडखेरी के निकट रारा सं. 53 के
		साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग ।

[फा. सं. एनएच-14012/11/2014-पीएंडएम]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

टिप्पण : राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 1180, तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 689(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या का. आ. 1522 (अ), तारीख 13 जून, 2014 द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2014

S.O. 2232(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby declares each of the highways specified in the column (3) of the Table below to be a national highway, as specified in the corresponding column (2) thereof.

The highways, now declared to be national highways by this notification, shall be deemed to be inserted in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the Table.

		TABLE
Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
299	168	The highway starting from its junction with NH 68 near Tharad connecting
		Dhanera, Panthvada in the State of Gujarat, Revdar, Anandra and
		terminating at its junction with NH 62 near Sirohi in the State of Rajasthan.
300	168A	The highway starting from its junction with NH No. 68 at Sanchore
		connecting Dhanera and terminating at its junction with NH No. 27 near
		Deesa in the State of Gujarat.
301	353D	The highway starting from its junction with NH 53 near Nagpur connecting
		Umred, Nagbhir, Brahmapuri and terminating at its junction with NH 353C
		near Armori in the State of Maharashtra.
302	306A	The highway starting from its junction with NH 306 near Vairengte
		connecting Saiphai, Zonmun and terminating at its junction with NH 2 near
		New Vertek in the State of Mizoram.
294	547E	The highway starting from its junction with NH 47 near Saoner connecting
		Dhapewada, Kalmeshwar and terminating at its junction with NH 53 near
		Gondkhairi in the State of Maharashtra.

[F. No. NH-14012/11/2014-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

Footnote : The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India *vide* notification number S.R.O. 1180 dated 4th April, 1957 and was substituted *vide* notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011 and last amended *vide* notification number S.O. 1522 (E), dated 13th June, 2014.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2014

का.आ. 2233(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारत के राजपत्र असाधारण भाग II खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 689(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 में एतद्वारा और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 170 तथा 194ए तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

 $\mathbf{-}$

વાાલમા		
(1)	(2)	(3)
"170	51	गुजरात राज्य में द्वारका से प्रारंभ होकर भोगट, पोरबंदर, नवीबंदेर, शील, मंगरोल,
		सोमनाथ, कोडीनर, उना, महुआ, तलाजा, भावनगर, सोनगढ़, गडाडा, बोतड, रनपुर,
		लिंबडी, सुरेन्द्रनगर, धरनगधरा को जोड़ते हुए तथा कुडा में समाप्त होने वाला
		राजमार्ग ।
194ए	353सी	महाराष्ट्र राज्य में सकोली के निकट रारा 53 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर
		वर्धा, अरमोरी, गढ़चिरोली, चमोशी, अश्ती, अलापल्ली, रेपनपल्ली, सिरोंचा तथा आंध्र
		प्रदेश राज्य में महादेवपुर, पारकल को जोड़ते हुए अतमाकुर के निकट नई रारा सं.163
		के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग ।

[फा. सं. एनएच-14012/11/2014-पीएंडएम]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

टिप्पण : राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 1180 तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 689(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या का. आ. 1522(अ) तारीख 13 जून, 2014 द्वारा किया गया था ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2014

S.O. 2233(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O 689 (E), dated, the 4th April, 2011, namely:—

In the Schedule, for serial number 170 and 194A and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

TABLE		
(1)	(2)	(3)
"170	51	The highway starting from Dwarka connecting Bhogat, Porbandar, Navibander, Shil, Mangrol,
		Somnath, Kodinar, Una, Mahuva, Talaja, Bhavnagar, Songadh, Gadhada, Botad, Ranpur, Limbdi,
		Surendranagar, Dhrangadhra and terminating at Kuda in the State of Gujarat.
194A	353C	The highway starting from its junction with NH 53 near Sakoli connecting Warda, Armori,
		Gadchiroli, Chamorshi, Ashti, Allapalli, Repanpalli, Sironcha in the State of Maharashtra,
		Mahadeopur, Parkal and terminating at its junction with new NH No. 163 near Atmakur in the
		State of Andhra Pradesh.

[F. No. NH-14012/11/2014-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

Footnote : The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India *vide* notification number S.R.O. 1180 dated 4th April, 1957 and was substituted *vide* notification number S.O. 689(E), dated 4th April, 2011 and last amended *vide* notification number S.O. 1522 (E), dated 13th June, 2014.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2014

का.आ. 2234(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची में नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 147-ए और क्रम सं. 294 के सामने उल्लिखित उससे संबंधित प्रविष्टियों का विलोप करती है ।

[फा. सं. एनएच-14012/11/2014-पीएंडएम]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 1180 तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 689(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या का. आ. 1522(अ) तारीख 13 जून, 2014 द्वारा किया गया था ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2014

S.O. 2234(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby omits New National Highway No. 147A and the entries relating thereto specified against serial number 294 in the Schedule to the said Act from the Schedule.

[F. No. NH-14012/11/2014-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

Footnote : The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India *vide* notification number S.R.O. 1180 dated 4th April, 1957 and was substituted *vide* notification number S.O. 689(E), dated 4th April, 2011 and last amended vide notification number S.O. 1522(E), dated 13th June, 2014.